रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एल.-अ.-23122024-259602
CG-ML-E-23122024-259602

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2024/अग्रहायण 29, 1946
No. 1024] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2024/AGRHAYANA 29, 1946

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

शिलांग, 18 नवम्बर 2024

नं.स्थाIII/आरआरआर0एनआरआरजी/5/2024-स्था.III.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में निम्न ग्रुप 'ए', ग्रुप 'बी' एवं ग्रुप 'सी' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

पृथक पदों हेतु आरआरएस	
क्रम सं	पद का नाम
1	मल्टी-टास्किंग स्टाफ
2	मेडिकल फिजिसिस्ट
3	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (पूर्व में पशु चिकित्सा अधिकारी)
सुरक्षा अनुभाग हेतु आरआरएस	
1	चीफ फायर गार्ड
2	फायर गार्ड

कंप्यूटर अनुभाग हेतु आरआरएस	
1	प्रोग्रामर
2	डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड-I
3	डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड-II

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप 'ए' 'बी' एवं "सी" पदों की भर्ती संशोधन नियम, 2023 व 2024 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
मल्टी-टास्किंग स्टाफ	58* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 01	लागू नहीं	आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार वर्ष की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी

	के मामले में लागू होगी		जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (एनई)/अनुभाग अधिकारी (एनई) –सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), शिलांग के प्रतिनिधि (अवर सचिव के पद से नीचे नहीं) –सदस्य 4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य* (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है।)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
मेडिकल फिजिसिस्ट	03* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 10	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार वर्ष की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल फिजिक्स/न्यूक्लियर मेडिसिन में	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा

एम.एस.सी. या समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो एवं एम.एस.सी. के बाद संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का कार्य अनुभव रहा हो। या 2. (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. फिजिक्स (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रेडियोलॉजिकल/मेडिकल फिजिक्स में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की हो।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, – सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	01* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 11	लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार वर्ष की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा अवधि,	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा

और अन्य योग्यताएं	लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	यदि कोई हो	या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान/चिकित्सा/शल्य चिकित्सा एवं रेडियोलॉजी/फार्माकोलॉजी एवं विष विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 साल	प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<u>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)</u> केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो: क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो ; या 2. मूल संवर्ग/विभाग में पेमैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान की हो और ख) सीधी भर्ती (पंक्ति 7 के अंतर्गत) के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों। <u>टिप्पणी:</u> केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा	1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, – सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
चीफ फायर गार्ड	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 06	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
<u>पदोन्नति:</u> वेतन मैट्रिक्स में लेवल 4 में फायर गार्ड और ग्रेड में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।	1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, – सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
फायर गार्ड	06* (2023)	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का	लागू नहीं	आयु 18 वर्ष से 27

	*कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन		स्तर 04		वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो। 2. भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया हो। 3. किसी प्रतिष्ठित संस्थान से कम से कम 6 महीने का अग्निशमन पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (एनई)/अनुभाग अधिकारी (एनई) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), शिलांग के प्रतिनिधि (अवर सचिव के पद से नीचे नहीं) – सदस्य 4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य* (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है।)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा

1	2	3	4	5	6
प्रोग्रामर	01* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 10	पदोन्नति : चयनित प्रतिनियुक्ति: लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा और ऐसा न हो पाने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा	<u>पदोन्नति:</u> वेतन मैट्रिक्स के लेवल 6 में डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड-I, ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी): केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: क. 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या 2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7/लेवल 6 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 05 वर्ष/10 वर्ष की सेवा या समकक्ष और बी. निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों: (i) कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.टेक (कंप्यूटर एप्लीकेशन में विशेषज्ञता के साथ) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर

				विज्ञान/कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में बीई/बी.टेक या समकक्ष। (ii) इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग का तीन वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव वास्तविक प्रोग्रामिंग में होना चाहिए। टिप्पणी: केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड-I	02* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 4 में डाटा प्रोसेसिंग सहायक ग्रेड-II में दस वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।	1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड-II	04* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 04	लागू नहीं	आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार वर्ष की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत

7	8	9	10
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में बी.ई/बी.टेक डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री प्राप्त की हो; या (ii) (क) बी.एससी कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी/बी.सी.ए. की डिग्री प्राप्त की हो; (ख) डेटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण में एक वर्ष का अनुभव रहा हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 साल	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (एनई)/अनुभाग अधिकारी (एनई) – सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी), शिलांग के प्रतिनिधि (अवर सचिव के पद से नीचे नहीं) – सदस्य 4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य* (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है।)	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक, नीग्रिम्स

[विज्ञापन-III/4/असा./793/2024-25]

NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

NOTIFICATION

Shillong, the 18TH November,2024

No.: ESTIII-RRR0NRRG/5/2024-Estt.III ––In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of

recruitment in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, to the following Group A, B & 'C' posts namely:-

RRs for Isolated posts	
1	Multi-Tasking Staff
2	Medical Physicist
3	Senior Veterinary Officer (erstwhile Veterinary Officer)
RRs for Security Section	
1	Chief Fire Guard
2	Fire Guard
RRs for Computer Section	
1	Programmer
2	Data Processing Assistant Grade-I
3	Data Processing Assistant Grade-II

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group – A, B & C posts Recruitment amendment Rules, 2023 & 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc**. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification** – No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

5. **Power to Relax** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving** – Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Multi-Tasking Staff	58* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 01 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Matriculation or equivalent from a recognised Board/ Institute.	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion / deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Medical Physicist	03* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of the Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
1. M.Sc. in Medical Physics/ Nuclear Medicine or equivalent from a recognized University with one year working experience in the concerned field after M.Sc. **OR** 2. (i) M.Sc. Physics from a recognized University (ii) A post Graduate diploma/degree in Radiological / Medical Physics from a recognized university/ institution	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member	Not applicable

	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STsMember* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS -Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Veterinary Officer	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of the Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
A Post Graduate Degree in Veterinary Science/ Medicine/ Surgery & Radiology/ Pharmacology & Toxicology from a recognised university Or equivalent.	No	Two years for direct recruit	By Deputation (ISTC) failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<u>Deputation (ISTC)</u> Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member	Not applicable

bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution: **A.** 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre / department; or 2. with 05 years service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the PayMatrix or equivalent in the parent cadre /department and **B.** Possess the educational qualification and experience as prescribed for the Direct Recruitment (under row 7). **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 (Five) years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on theclosing date of receipt of application.	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs -Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chief Fire Guard	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Two years for Promotees	By Promotion

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Fire Guard in Level 4 in the Pay Matrix with 10 (Ten) years of regular service in the grade.	1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (Not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS -Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Fire Guard	06* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 04 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential: 1. Degree of a recognized University. 2. Possess valid heavy vehicle driving license.	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

3. Certificate of having undergone at least 6 months fire fighting course from a reputed institute.			

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Programmer	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 10 of the Pay Matrix	Promotion: Selection Deputation: Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	No	Two years for direct recruits and promotees	By Promotion failing which by Deputation	**Promotion:** Data Processing Assistant Grade-I in Level 6 of

				Pay Matrix with Ten years regular service in the grade. **Deputation (ISTC):** Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/ Recognized Research Institution: **A.** 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or 2. with 05 years'/ 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 7/ Level 6 respectively of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and **B.** Possess the following educational qualification and experience: (i) Masters Degree in Computer Application/ Computer Science **or** M.Tech (with specialization in Computer Application) **or** BE/B.Tech in Computer Engineering/ Computer Science/ Computer Technology of a recognized University **or** equivalent. (ii) Three years experience of Electronic Data Processing, out of which at least One year experience should be in

				actual programming. **Note:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 (Five) years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Director / Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Data Processing Assistant Grade-I	2* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Two years for promotees	By promotion

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Data Processing Assistant Grade-II in Level 4 of Pay Matrix with ten years regular service in the grade.	1. Director, NEIGRIHMS - Chairman 2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Data Processing Assistant Grade-II	04* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group ‘C’	Level – 04 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 years and 27 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential: (i) B.E/ B.Tech Degree in Computer Science/ Information Technology/ or its equivalent from a recognized University/ Institute; **Or** (ii) (a) B. Sc Computer Science/ Information Technology/ B.C.A. (b) With one year experience in data processing and analysis.	No	Two years for direct recruits	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson 2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member 3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary) - Member 4. An expert in the relevant subject –Member* 5. A Co-opted member from SCs/STs - Member* (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHM

[ADVT.-III/4/Exty./793/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.12.23 19:02:13 +05'30'